न्यायालय : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/ एन.डी.पी.एस.एक्ट, ज्ञानपुर–भदोही ।

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–250 सन 2026

CNR–No.–UPSN01000777–2026

अजय सोनी उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र दिनेश सोनी निवासी नरहरपुर थाना रामपुर, जनपद जौनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

State of Uttar Pradesh

.....विपक्षी।

अपराध संख्या–202/2025
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट
व 318(4),319(2)बी०एन०एस०
थाना– चौरी , जिला–भदोही

दिनांक– 20.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अजय सोनी की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र थाना–चौरी, जनपद–भदोही, मु०अ०सं०–202/2025 अन्तर्गत धारा–8/20 एन०डी०पी० एस० एक्ट व 318(4), 319(2)बी०एन०एस० के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थी ने अपने जमानत आवेदन में निवेदन किया है कि अभियोजन कथन के अनुसार मौके से अवैध गांजा बरामद होने की बात कही गयी है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी के पास से कोई भी अवैध पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। मौके पर पकड़े गये व्यक्ति द्वारा पुलिस दबाव में प्रार्थी का नाम ले लिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रार्थी को भी इस मुकदमे में सम्मिलित कर लिया है, जबकि प्रार्थी का उक्त बरामदगी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबध नहीं है। प्रार्थी को जब उक्त घटना की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 162 सन् 2026 ई० अजय सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक

25.02.2026 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति है तथा न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए आज दिनांक 09.03.2026 ई० को स्वय माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पण (Surrender) कर रहा है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मात्र सहअभियुक्त के कथन के आधार पर प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है , जो विधि अनुसार स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह प्रतिपादित किया है कि मात्र सहअभियुक्त के कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Tofan Singh Vs. State of Tamil Nadu के वाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि सहअभियुक्त के समक्ष दिया गया कथन स्वयं में साक्ष्य के रूप में पर्याप्त नहीं माना जा सकता। प्रार्थी के जमानत पर छूटने से न तो न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और न ही प्रार्थी साक्ष्यों के साथ छेडछाड करेगा। प्रार्थी न्यायालय द्वारा लगायी गयी प्रत्येक शर्त का पालन करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, अग्रिम जमानत के आदेश दिनांकित–25.02.2026 की प्रति व आधारकार्ड की प्रति एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **Tofan Singh Vs. State of Tamil Nadu** की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसका ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान विशेष लोक अभियोजक एन०डी० पी०एस० एक्ट ने जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 27.12.2025 को अठगोड़वा नहर पुलिया के पास कार किया करेन्स नम्बर UP66 AD 2576 को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया जिसमें सहअभियुक्त रशांत पटेल व अनुराग पटेल मौजूद थे, जिसकी चेकिंग की गई तो उक्त कार से 1 कुन्तल 880 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ, जिसे कब्जा पुलिसा में लिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त अजय सोनी के कहने पर एक व्यक्ति गांजा लदी गाड़ी लाकर उन्हें दिया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उक्त अपराध में फर्द में सैम्पल निकालने की कार्यवाही का उल्लेख सद्भाविक त्रुटिवश किया गया है। जबकि उक्त सैम्पल प्रत्येक बोरी से न्यायालय के समक्ष निकाला गया है। अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः इस प्रकृति का अपराध करेगा एवं अभियुक्त के फरार होने की प्रबल संभावना है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक एन०डी०पी०एस०एक्ट को सुना तथा अभियोजन

प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया दर्शित है कि अभियुक्त अजय सोनी के द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के माध्यम से गांजे को परिवहन कराया जाना दर्शित किया गया है एवं अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा उनसे फोन से बात करने पर उनके दिशानिर्देश पर गांजे को अन्य जगह पर परिवहन करने की बात अभियोजन प्रपत्रों से दर्शित होती है, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के मोबाइल नम्बर की कॉल डिटेल केस डायरी में संलग्न है। उल्लेखनीय है कि सहअभियुक्तगण रशान्त पटेल व अनुराग पटेल को मौके पर वाहन संख्या कार किया करेन्स UP66 AD 2576 के साथ गिरफ्तार किया जाना दर्शित किया गया है, जिससे वाणिज्यिक मात्रा में गांजा बरामद किया जाना दर्शित किया गया है। इस मामले में वाहन वाहन संख्या कार किया करेन्स UP66 AD 2576 के पीछे वाली सीट पर चार बोरियों में कुल 1 कुन्तल 880 ग्राम गांजा बरामद किया जाना दर्शित किया गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा में है। इस प्रकार पुलिस के द्वारा की गयी कथित अवैध गांजे की बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है। एन०डी०पी०एस०एक्ट की धारा–37(1) (ख) यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि एन०डी०पी० एस०एक्ट के अन्तर्गत सभी अपराध अजमानतीय होंगे एवं वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त को जमानत पर या मुचलके पर छोड़े जाते समय अभियुक्त को तभी निर्मुक्त किया जाएगा, जबकि–

(धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध) के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा, जब–

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का या समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

इस मामले में एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विचार किया जा रहा है। एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय अपराध की गम्भीरता, समाज पर होने वाले प्रभाव, , दोषसिद्ध किये जाने की दशा में प्रदान किये जाने वाले दण्ड की गम्भीरता, अपराध को दोहराये

जाने की सम्भावना तथा जमानत प्रदान किए जाने से न्याय का विफल हो जाने की स्थिति पर भी विचार किया जाना आवश्यक होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की भूमिका अन्य सहअभियुक्तगण के साथ अवैध वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ को परिवहन किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया दर्शायी गयी है एवं वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित एन०डी०पी०एस० के प्रावधान में जमानत देते समय एन०डी०पी०एस० एक्ट के धारा 37(1) (ख) अभियुक्त की तरफ से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि जमानत पर छोड़े जाते समय पुनः कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है या उक्त अपराध का दोषी नहीं है। बरामद गांजे की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ जिस वाहन से नाजायज गांजा का परिवहन किया जा रहा था उससे फर्जी नम्बर प्लेट बरामद किया जाना केस डायरी के अनुसार दर्शित किया गया है।

अतः इस मामले की समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अपराध की गंभीरता व बरामद मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा को देखते हुए, इस मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अजय सोनी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–202/2025 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट व 318(4), 319(2)बी०एन०एस० थाना– चौरी, जनपद–भदोही के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 20.03.2026

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/ पॉक्सो प्रथम/
एन०डी०पी०एस० एक्ट, भदोही ज्ञानपुर।

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.04.01 11:01:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court